

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:-----/ नि०/रो०/ऋण/3-16/18

पटना,दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2017-2018 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-07.09.2018 से 09.09.2018 को चयनित लधु ऋण के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा सुपौल जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 04 लाभुकों को पुर्व में स्वीकृति आदेश संख्या 1314 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा निदेश दिया गया था। लेकिन लेकिन क्रमांक सं० 2 पर 01 लाभुक का खता बंद रहने के कारण खता में राशि अंतरित नहीं हो सका इसलिए प्रोसेसिंग शुल्क एवं डी० डी० राशी मो० 3030/ की कटौती करते हुए 1 लाभुक को संशोधित स्वीकृति तैयार किया गया है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

SI N O	चयन सूची क्रमांक	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge+ Embossing Charge	Net Payable Amount
1.	24/230	RUBI KHATUN, W/o- MP SAMSHER ALAM, Vill.-GADDI, Block+PS-RAGHOPUR, PO-RADHA NAGAR, Distt.-SUPAUL-852111, MOB-9523490633	A/c No.:- 708802010008826, UBIN0570885	SILAI DUKAN	200000	1000 + 2030 = 3030	196970
						TOTAL	196970

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए । किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-1314 दिनांक 28.04.2022 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा ।

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ज्ञापक:- 2231

प्रतिलिपि:- ऋणधारक/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा /प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर को ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 05-7-2022

प्रबंध निदेशक